

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।
Confiscation Case No. -22/2023-24

सरकार द्वारा स0अ0नि0, मिहिजाम बनाम अज्ञात चालक

आदेश

यह वाद स0अ0नि0 मिहिजाम थाना के ज्ञापांक-2164/2023, दिनांक-07.10.2023 द्वारा मिहिजाम थाना काण्ड संख्या-53/2023, दिनांक-15.09.2023 में जप्त करीब 02 किंचटल ~~कच्चा~~ कोयला का राजसात/अधिग्रहण किये जाने की अनुरोध पर दायर है।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा वाद संख्या-W.P.(C) 6788 of 2023 में पारित आदेश दिनांक-22.07.2024 के द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017" के नियम 11(V) को Ultra vires घोषित कर दिया गया है। फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उक्त नियम के अंतर्गत राजसात/अधिग्रहण वाद की सुनवाई नहीं की जा सकती है।

अतः पक्षकार राजसात/अधिग्रहण वाद संचालन करने हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।
वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


16/09/25
उपायुक्त,
जामताड़ा।


16/09/25
उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
Aggrieved
19.09.25